



भारत सरकार

**GOVERNMENT OF INDIA**

केन्द्रीय कृषि वर्षीनी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान

**CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE**

(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, (कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग))

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS WELFARE)

ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म.प.) 466-445

**TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466-445**

फा.स. 28-23 / 2016 एफ.डब्ल्यू

दिनांक 15.03.2018

निविदा सूचना

संस्थान के फार्म अनुभाग में कार्य कमांक -1 कृषि सिजनेवल कार्य एवं फसलों की सुरक्षा, कार्य कमांक -2 कार्यालय परिसर में स्थित उधानिकी, हेज कटिंग, थाला बनाना, गेस्ट हाउस, कार्यालय परिसर, परीक्षण स्कंध, कालोनी पार्क, में कार्य एवं पशुओं से पौधों की सुरक्षा एवं देख रेख आदि कार्य के लिये स्थानीय ठेकेदारों/दैनिक वेतन भोगी मजदूरों से 01.04.2018 से 30.06.2018 तक के लिये निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा देने की अंतिम तारीख दिनांक 22.03.2018 शाम 3.30 बजे तक दे सकते हैं।

कार्य की शर्तें—

1. निविदा दाता को कृषि कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है कार्य कमांक 1.एवं 2. के लिये अलग अलग निविदा देना होगा।
2. निविदा दाता श्रमिक मानसिक, शारीरिक रूप से विकलांग एवं 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिये।
3. ठेका अवधि समाप्ति के बाद ठेकेदार या श्रमिक की और से किसी भी प्रकार का दावा पाने का अधिकार नहीं होगा।
4. कार्य के दौरान ठेके पर कार्य करने वाले किसी भी श्रमिकों का अप्रिय घटना के लिये निविदा दाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. कार्य आदेश देने के पश्चात सभी कार्य फार्म अनुभाग के दिशा निर्देशानुसार ही करना होगा और कार्य संतोषजनक होने पर ही बिल का भुगतान किया जाएगा निर्देशित किये गये कार्य समय अवधि में सम्पन्न करना होगा।
6. यदि निविदा दाता किसी भी कारण से कार्य बीच में छोड़कर चला जाता है तो अथवा कार्य में लापरवाही करता है तो उसके कार्य के ठेके को निरस्त कर दिया जाएगा और उसे कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा।
7. निविदा दाता द्वारा प्रति श्रमिक प्रतिदिन की दर से सादे कागज पर बंद निविदा 22.03.2018 शाम 3.30 बजे तक निम्न हास्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में निविदा बाक्स में दे सकते हैं या पोस्ट द्वारा भेज सकते हैं जो उक्त तारीख तक मिल जाना चाहिए।
8. कार्य की अन्य शर्तें कार्या आदेश में निहित होगी।
9. प्रति माह रु. 20,000/- से अधिक ठेके की राशि होने पर टी.डी.एस. नियमानुसार काटा जाएगा।
10. श्रम संबंधी सभी नियमों का पालन स्वयं को करना होगा। कार्यालय इस संबंध में किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
11. फार्म एवं कार्यालय परिसर में कार्य के दौरान श्रमिकों द्वारा सरकारी सम्पत्ति का नुकसान पाया जाने पर निविदा दाता से भरपाई की जाएगी।
12. निदेशक महोदय को यह अधिकार होगा कि वे किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकते हैं। इस संबंध में किसी भी विवाद की सिथित में न्याय क्षेत्र बुदनी न्यायालय बुदनी जिला सीहोर ही होगा।

(जयबीर सिंह) 15.3.18  
स्वयं विज्ञानी  
कृते निदेशक

वितरण— सभी सूचना पट्ट : कार्या/प्रशि/परी/मुख्य द्वार/कालोनी द्वार/मेन बाजार बुदनी/तहसील कार्यालय/नगर पालिका नोटिस बोर्ड इत्यादि।

संस्थान के बेवसाइड पर अपलोड करने हेतु